

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

क्रमांक:-भू.अ./2025/

दिनांक:- / / 2025

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श्यामा नर्स पिता भवरु नि.
रूपपुरा प.ह. शिवपुरा के राजस्व ग्राम रूपपुरा में जमाबन्दी संवत् 2-78
की खाता संख्या 5 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति/नाम श्यामा नर्स किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम श्यामा नर्स का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Handwritten signature
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/799

दिनांक:-16/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का शिवपुरा

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री श्यामा नर्स पिता भवरु
राजस्व ग्राम रूपपुरा प.ह. शिवपुरा की खाता संख्या 5 में
जाति/नाम श्यामा नर्स दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री श्यामा नर्स पिता भवरु की
जाति/नाम श्यामा नर्स एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. शिवपुरा राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
Handwritten signature
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
Handwritten signature
चित्तौडगढ